

L/40

Immediate/RTI Matter

Ministry of Home Affairs
Department of Border Management

Sub: Application of Chaudhry Rohan Singh under RTI Act, 2005-reg.

Please find enclosed herewith a copy of RTI application dated 31.05.2013 received in this division on 19.06.2013 from K-II Desk, MHA.

2. As the matter comes under the purview of Foreigners Division the above application is hereby transferred for needful action.


R
(Rais Ahmad)
Director(BM-I)/CPIO
12/7/2013
12/7 O/C

Encl: as above

1. JS(Foreigners), NDCC-II Building, MHA, New Delhi.
2. Smt. Sulekha, DS& CPIO, MHA, North Block, New Delhi, for information and record w.r.t K-II Desk O.M.No.13030/3/2013-K.II dated 05.06.13. P.B.No. MHA U.O.No.11017/5/2013-BM-III dt.3.7.2013 3/13

Copy to :

Chaudhry Rohan Singh, Near Consumer Forum, Civil Court Agra, Uttar Pradesh 282002. Speed Post



116

सं. ए-43020/01/2013-आर.टी.आई.

भारत सरकार

यह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई, 2013

R-4190/wind(P1)/13
24/5

कार्यालय तापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री चौधरी शैलन सिंह का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री चौधरी शैलन सिंह के दिनांक 30/13/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में शर्मा मंत्रालय से अंतरण द्वारा दिनांक 17/5/2013 को प्राप्त) को प्रभाव को अंग्रेषित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अंग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क प्रदान नहीं किया है क्योंकि यह भी सूचित किया जा रहा है कि सूचना के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि यह भी सूचित श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथोपरि

संजय मित्रा
(संजय मित्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

11/1/13
27/5/13

सेवा में

निदेशक (एल) एन डी. सी. सी. - II भवन
यह मंत्रालय, नया दिल्ली
अजय सिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनाार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री चौधरी शैलन सिंह
कानून मर जोरम के पास

उपरोक्त - RTI
R
24/5
24/5/2013

393/780-2/13
31/5

MOST URGENT/BY SPEED POST
RTI-MATTER

120

F.No.13012/18/2013-K.VI
Government of India
Ministry of Home Affairs
Deptt. Of J&K Affairs
K-VI Desk

Room No. 93-A, North Block,
New Delhi, the 30th May, 2013

To,

Smt. Sulekha,
Deputy Secretary(K-II)
M/o Home Affairs,
North Block.

Subject: Application under Right to Information Act, 2005.

Please refer to RTI application dated 29.05.2013 (received by the undersigned on 30.05.2013) on transfer from Shri P.V. Sivaraman, Director (Foreigners) and CPIO, Ministry of Home Affairs vide their OM No. U.O. RTI/67/2013-F-I dated 29.05.2013 seeking information under RTI Act, 2005 is not pertained to this Desk (K-IV/K-VI).

2. Since the subject matter related to security, may please arrange a reply if any directly to the applicant within prescribed time limit.

USC/11
31/5

31/5/13 K. put up.

so (K-III)

(Bhopal Singh)
Director (K-II)

Encl: As above.

Copy to:-

1. Shri P.V. Sivaraman, Director (Foreigners) and CPIO, NDCC Bldg, Jai Singh Road, New Delhi.
2. Chaudhary Rohan Singh, Near Consumer Forum, Civil Court, Agra, Uttar Pradesh-282002.

22/2017-K-13
31/5

K-III Desk
Subject matter pertaining to
point 3 and 4 of the RTI application
does not pertain to K-III Desk.
BM Division. WIP
Date 6/13 31/5

Government of India
Ministry of Home Affairs
(Foreigners Division)


Subject: Information sought under the RTI Act, 2005.

Please find enclosed an RTI application dated 30-03-2013 (received by the undersigned on 24.05.2013 on transfer from Shri Sanjay Mitra, Under Secretary(RTI), Ministry of Home Affairs vide their OM No. A-43020/01/2013/RTI- dated 21.05.2013), seeking information under the RTI Act, 2005.

2. The information sought by the applicant in point nos. 3 and 4 of the RTI application is not maintained in the Ministry of Home Affairs (Foreigners Division).

3. Since the subject matter pertaining to point nos. 3 and 4 of the RTI application is closely linked to the functioning of Kashmir Division, MHA, point nos. 3 and 4 of the RTI application is transferred to Kashmir Division of MHA, under Section 6 (3) (ii) of the RTI Act, 2005, with a request to furnish the requisite information directly to the applicant within the prescribed time limit.


Encls: As above.


(P. V. Sivaraman)
Director (Foreigners) and CPIO

Sh. Bhopal Singh, Director(K-II), MHA, North Block, New Delhi
MHA U.O.RTI/67/2013-F-1 Dated : 29.05.2013

Copy to:-

1. Chaudhary Rohan Singh, Near Consumer Forum, Civil Court, Agra, Uttar Pradesh-282002
2. Sh. Sanjay Mitra, Under Secretary (RTI), North Block, Ministry of Home Affairs, , New Delhi....for information.


(P. V. Sivaraman)
Director (Foreigners) and CPIO

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आइ

116

भारत सरकार
मंत्रालय

भारत सरकार

बृहत् मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई, 2013

R-4190/परि(P)/13
24/5

कार्यालय आपन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री चौधरी रोहन सिंह का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री चौधरी रोहन सिंह के दिनांक 30/13/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में श्री/श्रीमती/सुश्री से अंतरण द्वारा दिनांक 17/5/2013 को प्राप्त) को विदेश प्रभाग को अत्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अत्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क प्रधान मंत्री कार्यालय में प्राप्त दिनांक 20/5/2013 को रसीद दुखा दी है के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि यह भी जो एक श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथापरि

संजय मित्रा
(संजय मित्रा)

जवर सचिव, भारत सरकार

11/5/13
24/5/13

सेवा में

निदेशक (एन)
बृहत् मंत्रालय, एन डी. सी. सी. - II भवन
जयसिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री चौधरी रोहन सिंह
कन्जुमर जोरम के पास
सेविल कोर्ट, आगरा

उत्तर प्रदेश - 282002

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरोक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)


Urgent - RTI

MR

24/5

24/5/2013
24/5

21.5.13
Tele : 011-23019585
ASCON : 35676



RTI Cell, ADG MT (AE)
6-B, D-1 Wing
Sena Bhawan, Gate No-4
HQ of MoD (Army)
New Delhi -110011

A/810027/RTI/12756 (Tf)

14 May 2013

JS (RTI)/CPIO
Ministry of External Affairs
(RTI Division)
802-Akbar Bhawan, Chankyapuri
New Delhi -- 110 021

Dy Secretary & CPIO
Ministry of Home Affairs
North Block
New Delhi -110 001

RIGHT TO INFORMATION ACT - 2005
ACTION REQUIRED : INTRUSION BY FOREIGN CITIZEN
SHRI CHAUDHARY ROHAN SINGH, ADVOCATE

1. Please find **enclosed** copy of an application dated 30 Mar 13, preferred by above named applicant, seeking information under RTI Act 2005.
2. Since the subject of information sought by the applicant pertains to/is more closely related to the functions of your office/offices under your jurisdiction, the application, is therefore, being transferred to your office under the provisions of **Section 6 (3)** of Right to Information Act 2005. You are requested to provide information wrt ibid RTI application, **directly** to the applicant.
3. The requisite application fee has been received by the MoD.
4. While forwarding info/denial of info to the applicant, address of the First Appellate Authority must be specified/mentioned so that applicant is able to prefer an appeal, if he/she wishes to do so.
5. In case the subject matter does not pertain to your office, **please transfer the same to appropriate office.**

Dir (f)
Sd/-
10/5/13



Dan
(Prashant Saxena)
Maj
GSO-1 (RTI)
for CPIO of Indian Army

Enclosures : As above.

Copy to :-

Shri Chaudhary Rohan Singh
Advocate
Near Consumer Forum
Civil Court, Agra-282 002
(UP)

Your ibid RTI application is being transferred to above CPIOs under **Section 6 (3)** of Right to Information Act 05. You are therefore, requested to correspond with them **directly** with respect to your ibid RTI application.

सूचना
का अधिकार

सं. 21 / आर.टी.आई. / 04 / 13-14

राष्ट्रपति सचिवालय

PRESIDENT'S SECRETARIAT

आर. टी. आई. अनुभाग

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.

Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004.

04 अप्रैल 2013

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक
नई दिल्ली।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री चौधरी रोहन सिंह का दिनांक 20.03.13 का आवेदन पत्र दिनांक 02.04.13 को प्राप्त हुआ है। वांछित सूचना आपके द्वारा धारित/आपके कृत्यों से निकट रूप से संबंधित होने के कारण उक्त आवेदन पत्र आपके कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने इसके लिए शुल्क के रूप में ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) का भुगतान इस सचिवालय में कर दिया है।

भवदीय

(सौरभ विजय)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री चौधरी रोहन सिंह, कन्जूर फोरम के पास, सिविल कोर्ट काठारा
उत्तर प्रदेश-282002.

वांछित सूचना इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। अतः आपका पत्र संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित किया जा रहा है। भविष्य में इससे संबंधित जानकारी के लिए उपरोक्त अधिकारी से संपर्क करें।

रक्षा मंत्रालय (खंड 0)
Ministry of Defence (Sect.)
रक्षा (सूचना का अधिकार) अनुभाग
Defence (Right to Information) Section
दस्तावेज नं० 538
दि. नं० 9/4/13

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

13

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा- 6(1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्राप्ति

Dy. No. 21/12/2013
Date: 25/3/2013
Signature: R.S. Singh

सेवामें : श्रीमान जन सूचना अधिकारी / प्रभारती महोदय
राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, रायचीना हिल्स,
भारत सरकार, नई दिल्ली -
विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र ।

महामाहिम जी,
सीवनय निवेदन है कि दिनांक 1 फरवरी 2013 के अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित खबर ; कारीगल से पहले मुशर्रफ ने पार की थी स्त.ओ.सी. यह खबर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के जन सम्पर्क विभाग आई.एस.पी.आर. में डिप्टी डायरेक्टर रह चुके सेवानिवृत्त कर्नल अशफाक हुसैन की किताब " कारीगल स्टोरी अनफोल्डस " के डबले कर प्रकाशित हुई जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जवाब परवेशा मुशर्रफ द्वारा स्त.ओ.सी. पार कर 11 जिमी अन्दर घुसकर भारतीय सेना की चौकी पर अवैध कब्जा जमाये पाक सैनिकों के साथ रात गुजारना सर्व निपर सुरक्षात वापिस लौटने का जिक्र है।

आवेदक आपसे निम्न बिन्दुवार सूचनार्थे उपरोक्त विषय में प्राप्त करना चाहत है:-

- 1- यह कि यदि कोई विदेशी नागरिक अवैधानिक तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्राविधान है।
- 2- यह कि यदि कोई विदेशी शासक / राष्ट्राध्यक्ष जानबूझकर भारतीय सीमा में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करता है तो अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्राविधान है।
- 3- यह कि क्या परवेशा मुशर्रफ ने स्त.ओ.सी.को अवैधानिक तरीके से पार कर भारतीय कानून का उल्लंघन किया है। यदि हाँ तो क्या मुशर्रफ के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा कोई शिकायत या प्राथमिकी राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करायी गयी है। स्पष्ट करें।
- 4- यह कि क्या मुशर्रफ के विरुद्ध उक्त कृत्य में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही या जांच प्रस्तावित है। या को जा रडो है स्पष्ट करें।

अतः महामाहिम जी सीवनय प्रार्थना है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर मांगी गई सूचनार्थे की प्रमाणित प्रतित हिन्दी भाषा में अधिनियम में दिये गये निश्चित समय सीमा के अन्दर आवेदक / अधोदस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा करें। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

दिनांक :- 30- 3- 2013

आवेदक /अधोदस्ताक्षरी
बोधरी रोहन सिंह सहवाड़े, 30/03/13
कन्नपुर पोरम के पास, तिलवल कोर्ट, आगरा-उ.प्र.
पिन कोड- 202002
मौ. नं. 0 9411961952 **Rauhan Singh**
(LL.M.) Advocate
Civil Court, AGRA
R.E. 11103 2003 U.P.

संलग्नक
1- 10/-रुपये का भारतीय मूद्र पोस्टल ऑर्डर
संख्या- 17 रप.702289 मूल रूप से संलग्न है
दिनांकित- 25-3-2013

नैत्र चिकित्सालय
 डॉ. प्रदीप शर्मा M.S.
 नैत्र चिकित्सालय, दिल्ली-110029
 पता: (ए) कोयला रोड, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029
 (बी) सूर्य नैत्र चिकित्सालय, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029
 फोन: 011-26104000, 9761566614

डॉ. सर्वश कुमार गुप्ता
 (उदर रोग विशेषज्ञ)
 यूपी कानून कॉलेज, दिल्ली
 पता: (ए) कोयला रोड, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029
 (बी) सूर्य नैत्र चिकित्सालय, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029
 फोन: 011-26104000, 9761566614

PLIOTUS
 NEAR JAIN'S BARRISTERS
 डॉ. सुधेश अग्रवाल (M.D.)
 डॉ. ए.एस. शिंदे (M.D.)
 पता: कोयला रोड, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029

Dr. Jain's Heart Care Clinic
DR. VINESH JAIN
 (Cardiologist)
 पता: कोयला रोड, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029
 फोन: 011-26104000, 9761566614

मिनाल एच. का, गजपति कंस कोर
 पता: कोयला रोड, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029
 फोन: 011-26104000, 9761566614

नैत्र चिकित्सालय
 डॉ. प्रदीप शर्मा
 पता: (ए) कोयला रोड, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029
 (बी) सूर्य नैत्र चिकित्सालय, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029
 फोन: 011-26104000, 9761566614

डॉ. कुंभार मंगल
 (उदर रोग विशेषज्ञ)
 यूपी कानून कॉलेज, दिल्ली
 पता: (ए) कोयला रोड, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029
 (बी) सूर्य नैत्र चिकित्सालय, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029
 फोन: 011-26104000, 9761566614

SAOL HEART CENTER
 डॉ. सुधेश अग्रवाल (M.D.)
 डॉ. ए.एस. शिंदे (M.D.)
 पता: कोयला रोड, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029

DR. VINESH JAIN
 (Cardiologist)
 पता: कोयला रोड, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029
 फोन: 011-26104000, 9761566614

मिनाल एच. का, गजपति कंस कोर
 पता: कोयला रोड, एच.एस.डी. रोड, दिल्ली-110029
 फोन: 011-26104000, 9761566614

क्या सुभावर्द्धनोरे २ गुमनामी बाबा से कानून शान और रामचंद्र का सन करती है कि बाबा की हिंसे थी और उन्हें की मिलने के लिए अने संक्षिप्त संवाद किया गया है

11 किलोमीटर अंदर आप, यांग विहाई और रवी साजिया इस्लामबाबा। कुतूहल को खलनायक और पाकिस्तान के युद्ध सेना शासक राबेन मुराफ ने न केवल भारत के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई थी, बल्कि दार्जिलिंग के बाबा बनी निरुपमा देसा (एलओसी) को भी पार किया था। पाकिस्तान के एक रिपोर्ट कर्मल को किताब 'विटनेस टू कलबर' कारगिल स्टरी ऑफोरेस्ट में गुरु खुलनासा किया गया है।

संस्कृत काल अशाफक दुसैन कारगिल युद्ध के दिनों में पाकिस्तान की युक्तिवा एजेंसी के जनसर्क विभागा आइएसओआर में हिन्दी डायरेक्टर थे। उन्होंने किताब में इस युद्ध को मुसलमन की बड़ी भूल करार देते हुए लिखा है : 28 मार्च 1999 को चौक ऑफ आनी स्टाफ जनरल मुराफक अपने कुछ अधिकारियों के साथ निरक्षण देखा तो 11 किलोमीटर आगे है। इस पोस्ट पर बल 12

नोट्स साइट इन्फो ने कब्जा कर रखा था। उल्लेखनीय है कि मई से जुलाई 1999 तक दोनों देशों के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। नियमों पाकिस्तान को धार को फिर देखना पड़ा था। इन दिनों पाकिस्तान में राष्ट्रीय युद्ध को लेकर उसकी सेना के रिटायर्ड सेवमेट जनरल शाहीद अजीब के खुलासा ने बाद दुसैन मना हुआ है।

नेत्री सुभाषचंद्र बोस की रहस्यमयी मौत के बारे में जब के कारगिल में रामचंद्र खासा चर्चा में रहा। कहा गया कि इस घटना में रहने वाले गुमनामी बाबा कोई साधारण शास्त्र नहीं थे और वेला जो सुभाषचंद्र बोस थे। हालांकि वह कारगिल किसी ठोस नवीने तक नहीं पहुँच पाया लेकिन यह दावेदारी तब और प्रबल चली, जब रहस्यमय परिस्थितियों में ही 18 अक्टूबर 1985 को तब गुमनामी बाबा के निधन की खबर आई। इस दावेदारी के सीधे गुमनामी बाबा के लॉकर स्ट्रोक के साथ उनके पास

से कानून शान और रामचंद्र का सन करती है कि बाबा की हिंसे थी और उन्हें की मिलने के लिए अने संक्षिप्त संवाद किया गया है

नेत्री सुभाषचंद्र बोस की रहस्यमयी मौत के बारे में जब के कारगिल में रामचंद्र खासा चर्चा में रहा। कहा गया कि इस घटना में रहने वाले गुमनामी बाबा कोई साधारण शास्त्र नहीं थे और वेला जो सुभाषचंद्र बोस थे। हालांकि वह कारगिल किसी ठोस नवीने तक नहीं पहुँच पाया लेकिन यह दावेदारी तब और प्रबल चली, जब रहस्यमय परिस्थितियों में ही 18 अक्टूबर 1985 को तब गुमनामी बाबा के निधन की खबर आई। इस दावेदारी के सीधे गुमनामी बाबा के लॉकर स्ट्रोक के साथ उनके पास

नेत्री सुभाषचंद्र बोस की रहस्यमयी मौत के बारे में जब के कारगिल में रामचंद्र खासा चर्चा में रहा। कहा गया कि इस घटना में रहने वाले गुमनामी बाबा कोई साधारण शास्त्र नहीं थे और वेला जो सुभाषचंद्र बोस थे। हालांकि वह कारगिल किसी ठोस नवीने तक नहीं पहुँच पाया लेकिन यह दावेदारी तब और प्रबल चली, जब रहस्यमय परिस्थितियों में ही 18 अक्टूबर 1985 को तब गुमनामी बाबा के निधन की खबर आई। इस दावेदारी के सीधे गुमनामी बाबा के लॉकर स्ट्रोक के साथ उनके पास

नेत्री सुभाषचंद्र बोस की रहस्यमयी मौत के बारे में जब के कारगिल में रामचंद्र खासा चर्चा में रहा। कहा गया कि इस घटना में रहने वाले गुमनामी बाबा कोई साधारण शास्त्र नहीं थे और वेला जो सुभाषचंद्र बोस थे। हालांकि वह कारगिल किसी ठोस नवीने तक नहीं पहुँच पाया लेकिन यह दावेदारी तब और प्रबल चली, जब रहस्यमय परिस्थितियों में ही 18 अक्टूबर 1985 को तब गुमनामी बाबा के निधन की खबर आई। इस दावेदारी के सीधे गुमनामी बाबा के लॉकर स्ट्रोक के साथ उनके पास

लाजपत